

आज दिनांक 21.07.2022 को थाना वजीरगंज जिला बदायूं पुलिस द्वारा गैगस्टर एक्ट के अभियुक्त शानू पुत्र मेंहदी हसन निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज जिला बदायूं की सम्पत्ति जब्तीकरण के सम्बन्ध में ।

जिलाधिकारी बदायूं महोदय के आदेश पत्रांक 1957/रीडर-डीएम0 बदायूं दिनांक 14.07.2022 के अनुपालन में अभियुक्त शानू पुत्र मेंहदी हसन निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज जिला बदायूं सम्बन्धित मु0अ0स0 57/2020 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट में अभियुक्त की 14(1) गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के कुशल निर्देशन में एव पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी बिसौली के नेतृत्व में व तहसीलदार बिसौली बदायूं व थानाध्यक्ष थाना वजीरगंज बदायूं की अध्यक्षता में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त शानू पुत्र मेंहदी हसन निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज जिला बदायूं सम्बन्धित मु0अ0स0 57/2020 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट में अभियुक्त की अचल सम्पत्ति (मकान) कीमती 18,80,000/- (अट्ठारह लाख अस्सी हजार ) अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूं ।